18
अध्याय

सतर्कता

सतर्कता

1. कार्य

कोयला मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संगठनों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और उसकी 8 सहायक कंपनियों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से संबंधित सतर्कता मामलों के अलावा मंत्रालय में सतर्कता प्रशासन की निगरानी करता है। मंत्रालय का सीवीओ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), डीओपी एंड टी तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ सतर्कता मामलों पर मिल कर काम करता है।

संगठन में प्राप्त शिकायतों पर सीवीसी की 'कम्पलेंट हैंडलिंग पॉलिसी' के अनुसार कार्रवाई की जाती है और कंपनी के कर्मचारियों के सुग्राहीकरण हेतु शिकायतों की प्राप्ति से निपटान तक औचक जांच, नियमित जांच, गुणवत्ता जांच, अनुवर्ती जांच–पड़ताल एवं सीटीई किस्म की जांच जैसी पूर्व कार्रवाई, निवारण और दंडात्मक ढंग से कम्पलेंट ट्रैकिंग सिस्टम (सीटीएस) का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की जाती है।

सतर्कता अनुभाग में वर्ष 2021 (01.01.2021 से 30.11.2021 तक) के दौरान निपटाए गए सतर्कता संबंधी मामलों तथा लंबित मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

स्रोत	शुरुआती शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटान	शेष	अवधि–वार लंबित (महीना)			
						<1	1-3	3-6	>6
सीवीसी	0	7	7	7	0	0	0	0	0
अन्य	32	275	307	297	10	10	0	0	0

सतर्कता संबंधी लंबित मामलें एमपीए एमएलए तथा आम जनता से प्राप्त कोयला मंत्रालय, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, सीएमपीएफओ और सीसीओ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति, विभिन्न निविदाएं प्रदान करने, मुआवजे के संबंध में भ्रष्टाचार आदि के संबंध में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

2. संगठन की संरचना

मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कोयला नियंत्रक संगठन के सतर्कता स्कन्धों के सीवीओ प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। संगठनों के बोर्ड स्तर से निचले अधिकारियों के सतर्कता मामलों की जांच संबंधित कंपनी के सीवीओ द्वारा की जाती है तथा बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में कंपनी के सीवीओ सीवीसी के परामर्श से तथ्यात्मक रिपोर्टें उपयुक्त कार्रवाई हेतु मंत्रालय को भेजते हैं।

3. सतर्कता जागरूकता का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 'स्वतंत्र भारत@75: सत्यनिष्ठता के साथ आत्म निर्भरता' नामक विषय पर दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान मंत्रालय में सत्यनिष्ठता प्रतिज्ञा, निबंध लेखन प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन किया गया। जागरूकता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता के सृजन हेतु सभी कंपनियों में भी इसी प्रकार की गतिविधियां की गई।

4. समीक्षा/निगरानी तंत्र

सतर्कता मामलों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। दिनांक 01.01.2021 से 30.11.2021 की अवधि के दौरान वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक दिनांक 22.04.2021 को संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी।

5. 2021–22 के दौरान जारी प्रणाली सुधार उपाय

इममूवेबल प्रोपर्टी रिटर्न (आईपीआर) ऑनलाइन जमा करने, अधिकारियों के संवेदनशील पदों से असंवेदनशील पदों पर रोटेशनल ट्रांसफर आदि में सभी संगठन सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा, 2021–22 के दौरान निम्नलिखित मुख्य प्रणाली सुधार के सुझाव दिए गए:–

5.1 मिशन गुणवत्ता प्रबंधन (2021 और सतत):

कोयले की घोषित गुणवत्ता/ग्रेड और ग्राहकों को भेजे जाने से पहले वास्तविक प्रयोगशाला परीक्षणों से खोजी गई गुणवत्ता के बीच अंतर एक प्रमुख संगठनात्मक चिंता रही है। संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार की गुंजाइश तलाशने और भेद्यता को खत्म करने के लिए सतर्कता द्वारा कोयले के निर्धारण, नियंत्रण, परीक्षण और आश्वासन से संबंधित नीति और आय के पूरे पहलू का पता लगाने के लिए एक प्रमुख प्रणालीगत अभ्यास शुरू किया गया था। इस अध्ययन में भारी मात्रा में प्रयोगशाला परीक्षण परिणामों का संग्रह और विश्लेषण शामिल था (चार साल की परीक्षण अवधि में लगभग 1.5 बिलियन मीट्रिक टन कोयले के खेप से निकाले गए एक मिलियन से अधिक प्रयोगशाला परिणाम) और अंतर–सीम गुणवत्ता भिन्नता का पता लगाने के लिए कोयला कंपनी के अधिकारियों, उद्योग के पेशेवरों, शिक्षाविदों और यहां तक कि दायर प्रयोगों के साथ चर्चा की। इस अभ्यास से सीखे गए सबक सतर्कता परामर्शों की एक श्रृंखला में शामिल किए गए थे जिनमें कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट सुझाव शामिल थे। इस श्रृंखला की चौथे परामर्शी–पत्र (16.4.2021) ने यह बताते हुए कि कैसे कोयले की गुणवत्ता–विचलन को मापने की वर्तमान प्रथा संबंधित खेप मात्रा की भूमिका की अनदेखी करके कुछ गंभीर दुर्बलताओं से ग्रस्त है और एक वैकल्पिक प्रणाली का सुझाव दिया है जो सांख्यिकीय रूप से अधिक तार्किक और मजबूत है। **इस सुझाव के लागू होने के बाद वास्तविक गुणवत्ता विचलन पहले की तुलना में बहुत कम पाया गया। इसके अलावा इस तरह के विचलन पिछले 2 वर्षों में तेजी से कम हुए हैं, जिसमें सीआईएल ने पहली बार 400 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध–गुणवत्ता–बोनस प्राप्त किया है। यह सलाह दी गई थी कि सीआईएल प्रबंधन को सभी हितधारकों को "घोषित ग्रेड" की वास्तविक प्रकृति के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू करना चाहिए, अर्थात यह भारतीय कोयला जमा में निहित भू–आकृति विज्ञान भिन्नता के कारण "नियतात्मक" के बजाय प्रकृति में अधिक "संभाव्य" कैसे है।**

5.2 ग्रेड भिन्नता में बाहरी कारकों की भूमिका

हालांकि भारतीय कोयले में उच्च स्तर की अंतर–सीम गुणवत्ता परिवर्तनशीलता से ग्रस्त है, फिर भी कई परिचालन कारक हैं, जिनमें अगर कोयला कंपनियों द्वारा सुधार किए जाते हैं, तो आपूर्ति में गुणवत्ता सुधार हो सकता है। सुधार के लिए सतर्कता द्वारा सुझाए गए प्रमुख कारक (जून, 2021) थे (क) पत्थरों, बोल्डर और शेल के साथ कोयले के प्रदूषण की रोकथाम (ख) जहां भी खान की स्थिति अनुकूल है वहां कोयला निष्कर्षण के लिए सतह खनिकों की तैनाती में वृद्धि (ग) अपने वर्तमान स्तर से क्रशिंग क्षमता बढ़ाना और बढ़ते उत्पादन लक्ष्य का मुकाबला करने के लिए वर्ष के अंत तक ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पर निर्भरता से बचना (घ) जीपीएस और आईटी खामियों को दूर करके कोयला टिपरों द्वारा क्रशिंग पॉइंट को बाईपास करना। **वर्ष के अंत में उत्पन्न होने वाली दैनिक/साप्ताहिक मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा क्रशिंग क्षमता को 30% तक बढ़ाने के लिए एक नीति जारी की गई है।**

5.3 ग्रेड भिन्नता और आगे बढ़ने में आंतरिक कारकों की भूमिका

प्रणालीगत सलाह के अगले सेट (17.8.2021) ने अनुमान क्वांटम इंट्रा–सीम जीसीवी भिन्नता के विशिष्ट उद्देश्य के साथ कुछ सहायक कंपनियों के कुछ महत्वपूर्ण सीमों पर किए गए

वास्तविक क्षेत्र परीक्षणों की सहायता से कोयले की गुणवत्ता के अनियंत्रित पहलुओं का विश्लेषण किया। इस तरह के क्षेत्र प्रयोगों का पूर्व में कभी भी प्रयास नहीं किया गया था और उन्होंने स्पष्ट रूप से पता लगाया कि क्यों ग्रेड भिन्नता यादृच्छिक रूप से होती है, यहां तक कि कम समय में भी, सीम से निकाले गए कोयले में जिसे मोनोलिथिक माना जाता है और एक ही निर्दिष्ट घोषित ग्रेड होता है और सबसे अच्छी स्थिति में होता है –100 मिमी आकार के सतह–खनन वाले कोयले जैसी परिचालन–स्थितियाँ। अध्ययन में प्रबंधन को कई सुझाव दिए गए कि **इस तरह की परिवर्तनशीलता को कैसे सीमित किया जाए और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। यह सुझाव दिया गया था कि सीम के ग्रेड की घोषणा करते समयए टीपीए द्वारा परीक्षण किए गए उस सीम से पहले परीक्षण किए गए प्रेषणों के भारित औसत जीसीवी को वर्तमान प्रक्रिया के बजाय ध्यान में रखा जा सकता है।**

5.4 टीपीए परीक्षण परिणामों और रेफरी परिणामों में तेजी लानाः

सतर्कता ने संविदात्मक कारकों की भी जांच की जो कोयला परीक्षण परिणामों की उपलब्धता में देरी का कारण रहे हैं। यह देरी ग्राहक और कोयला कंपनियों की शिकायतों का एक प्रमुख स्रोत भी है। कोयला परीक्षण अनुबंधों के विस्तृत अध्ययन, नमूना संग्रह–से–प्रयोगशाला परीक्षण गतिविधि श्रृंखला के विश्लेषण से कई कमजोरियों का पता चला, जिसके लिए प्रबंधन को उपचारात्मक उपाय सुझाए गए थे। यह अनुशंसा की गई थी कि सीआईएल को 5 दिनों की अवधि के भीतर टीपीए परीक्षण परिणाम की उपलब्धता प्राप्त करने के लिए एक तंत्र का पता लगाना चाहिए ताकि दो चरणों वाली बिलिंग की समस्या से पूरी तरह बचा जा सके। **इसे लगे हुए टीपीए के लिए परिणाम–संचालित दायित्व–खंडों को शामिल करके और परीक्षण एजेंसियों के पैनल को विस्तृत करके प्राप्त किया जा सकता है जो 3 से 5 दिनों के भीतर परीक्षण के परिणाम की आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं। रेफरी के परिणाम प्राप्त करने में देरी का भी अध्ययन किया गया और प्रबंधन को उपचारात्मक उपाय सुझाए गए।**

5.5 रैपिड लोडिंग सिस्टमः

रेलवे रैक की कम और ओवरलोडिंग से निपटने के लिए पूर्व–भारित डिब्बे के साथ रैपिड लोडिंग सिस्टम को एक प्रभावी उपाय माना जाता है। सतर्कता के एक अध्ययन से पता चला है कि रेलवे अधिकारियों से प्रमाणन प्राप्त करने में असामान्य देरी के कारण ऐसा नहीं हो रहा था, यद्यपि स्थापित साइलो को राज्य मेट्रोनोमिक विंग द्वारा प्रमाणित किया गया है। आरएलएस–पीडब्लूबी के लिए रेलवे द्वारा प्रमाणन के बिना कई साइलो में आरआर अर्जन के लिए डाटा का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उसी पुराने सिस्टम द्वारा रेक का वजन किया जाता है। इन सुझावों के बाद प्रबंधन ने इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और संबंधित सहायक कंपनियों को निर्देश जारी किया है।

5.6 डम्पर पे लोड मॉनिटरिंग सिस्टम (पीएलएमएस) के उपयोग से डाटा विश्लेषण से सहायता युक्त उत्पादकता वृद्धिः

हाल के वर्षों में सीआईएल के कैपेक्स में डंपर खरीद का बड़ा हिस्सा है। सीआईएल के बेड़े (लगभग 3000 डंपर) में दुनिया में कहीं भी सबसे बड़ी क्षमता वाले डंपर (240 टी / 190 टी) शामिल हैं। इन डंपरों में पीएलएमएस नामक सेंसर और सॉफ्टवेयर का एक एम्बेडेड सिस्टम होता है जो हर यात्रा में किए गए पेलोड, डीजल की खपत, निष्क्रिय समय, साइकिल समय आदि पर अत्यंत मूल्यवान डाटा एकत्र करता है। जैसे–जैसे आईओटी सिस्टम ने प्रगति की, वैश्विक डंपर निर्माताओं ने पिछले दशक से अपनी मशीनों को ऐसी प्रणाली के साथ लैस करना शुरू कर दिया क्योंकि ओईएम ऐसे डाटा से भावी सूचक–रखरखाव–उपकरण के रूप में लाभान्वित हो सकते हैं जबकि ग्राहक ऊर्जा संरक्षण के अलावा उत्पादकता–वृद्धि–उपकरण के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी प्रणाली द्वारा उत्पन्न डाटा आपूर्तिकर्ता और ग्राहक को लाभान्वित करता है। ऐसे प्रत्येक सिस्टम की लागत लगभग 7 से 8 लाख रुपये होती है। इसलिए, इस आईओटी उपकरण द्वारा कोयला उत्पादन और परिवहन उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यह पता लगाने के लिए सतर्कता ने एक प्रणाली सुधार अध्ययन किया। लेकिन यह पाया गया कि हालांकि सीआईएल द्वारा खदानों में लगाए गए अधिकांश डंपरों में पे लोड मॉनिटरिंग सिस्टम नामक एक ऑन–बोर्ड कंप्यूटर

सिस्टम है, यह किसी भी आईओटी सिस्टम से जुड़ा नहीं है। इसके अलावा, हालांकि मशीन से डाटा डाउनलोड करने की सुविधा मौजूद है, लेकिन इन डंपरों द्वारा उत्पन्न डाटा शायद ही कभी फील्ड अधिकारियों द्वारा डाउनलोड किया जाता है, विश्लेषण की बात तो दूर, जो विभागीय खानों में कोयले के संचालन के विविध पहलुओं में अधिक निरीक्षण कर सकता था जो सीआईएल के कुल वार्षिक उत्पादन का लगभग एक तिहाई उत्पादन करते हैं। चूंकि मशीन में डम्पर डाटा अधिकतम 4 महीने तक रहता है, इसलिए कई वर्षों का मूल्यवान पिछला डाटा पहले ही खो चुका है। सतर्कता ने पहल की और विभिन्न खदानों में पिछले 4 महीनों के लगभग 50,000 डम्पर साइकिल डाटा एकत्र किए, जो निर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते थे और पाया कि ये डाटा उत्पादकता सुधार, परिचालन नियंत्रण, स्टॉक अकाउंटिंग आदि में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इस महत्वपूर्ण उपकरण और मशीन से उत्पन्न डाटा में कुछ विसंगतियों को समझने के लिए सतर्कता द्वारा अग्रणी डंपर निर्माताओं के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं। **एक विस्तृत प्रणाली सुधार टिप्पणी के साथ प्रबंधन को इन पहलुओं के बारे में सूचित किए जाने के बाद, सीआईएल ने समर्पित मुख्यालय सेल द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करके प्रत्येक डंपर की उत्पादकता डाटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए नीति निर्देश जारी किया है।**

5.7 कॉर्पोरेट अनुबंध प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) और एनईएटी में दूसरी रिवर्स नीलामी का प्रतिबंधः

सतर्कता शाखा की अनुशंसा पर संविदा नियमावली के अनुरूप कम्प्यूटर सेवा विभाग द्वारा उसी निविदा की दूसरी रिवर्स नीलामी को बंद करने/रोकने के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। अब संविदा नियमावली में प्रावधान के अनुरूप उसी निविदा में दूसरी रिवर्स नीलामी तभी संभव है जब रिवर्स नीलामी के समय एनएलसीआईएल का सर्वर फेल हो।

5.8 ठेकेदारों के तहत अस्थायी रोजगार के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की सिफारिश करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गयाः

एनएलसीआईएल पीएपी के लिए उनके तहत अस्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए ओ एंड एम अनुबंधों को निष्पादित करने वाले ठेकेदारों को प्रोत्साहित करता है। अस्थायी रोजगार को सक्षम करने के लिए अनुबंधों में आवश्यक अनुबंध खंड भी उपलब्ध कराए गए हैं। सतर्कता विभाग की सिफारिश पर, एनएलसीआईएल के भूमि विभाग ने अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप ठेकेदारों के तहत अस्थायी रोजगार के लिए सिफारिश के लिए पीएपी की पहचान की प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है। अब प्रक्रिया में विशिष्ट कार्यों के लिए नियोजित करने के इरादे की अधिसूचना, आवेदन जमा करने के लिए प्रतिक्रिया समय, समिति द्वारा जांच और सिफारिशें और उसके बाद वास्तविक तैनाती की निगरानी शामिल है। इस प्रक्रिया के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है।

5.9 नियमित कर्मचारियों के संबंध में चिकित्सा लाभों के लिए आश्रितों के डाटा के वार्षिक अद्यतन के लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन सुव्यवस्थित करनाः

एनएलसीआईएल चिकित्सा नियमों में एनएलसीआईएल अस्पताल, रेफरल अस्पताल में कर्मचारियों और आश्रितों के इलाज के लिए और कुछ मामलों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है। सतर्कता की अनुशंसा पर निम्नलिखित प्रणालियाँ लागू की गई हैं। क) चिकित्सा उपचार के लिए पात्र आश्रितों के डाटा को अद्यतन करने के लिए कर्मचारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑन लाइन प्रमाणन प्रणाली का विकास। ख) अब कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से हर साल इसे अद्यतन और प्रमाणित करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए जून के महीने के दौरान स्थिति को अद्यतन किया जाएगा। पोर्टल पहली जून से 30 जून तक एनएलसीआईएल इंट्रानेट में व्यक्तिगत लॉग में खुला रहेगा। अद्यतनीकरण न होने पर, ऐसे आश्रितों के लिए चिकित्सा उपचार के लिए आगे कोई संदर्भ जारी नहीं किया जाएगा। पैनल में शामिल अस्पताल के रेफरल पत्र में आश्रितों के डिजिटल फोटोग्राफ को शामिल करने की भी शुरुआत की गई है। इन उपायों से दुरूपयोग रुकेगा।

5.10 सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार क्यूपीआर में शामिल अनुबंधों से जुड़ी सूचनाओं को सीटीई में अद्यतन करने के लिए एक पोर्टल का निर्माण:

सीवीसी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत शामिल अनुबंधों के संदर्भ में तिमाही प्रगति रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए 30.09.2021 को समाप्त तिमाही से एनएलसीआईएल की सतर्कता शाखा ने सीटीई रिपोर्ट के तहत शामिल अनुबंधों के संबंध में यूनिट नोडल अधिकारियों और यूनिट प्रमुखों के उपयोग के लिए एक बहु उपयोगकर्ता पोर्टल विकसित किया है। यह विभिन्न इकाइयों से सतर्कता द्वारा विश्वसनीय डाटा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और सभी के लिए प्रक्रिया का समय कम हो जाता है

5.11 भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण:

सतर्कता की अनुशंसाओं पर, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को पहली बार लागू किया गया है और नेयवेली स्थलों पर अधिग्रहित भूमि से जुड़े अभिलेखों का डिजिटलीकरण कार्य पूरा होने वाला है। नेयवेली के अलावा अन्य स्थानों पर स्थित परियोजनाओं और सहायक कंपनियों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के संबंध में, भूमि विभाग द्वारा स्कोप दस्तावेज और अनुमान तैयार किए गए हैं और 2022 के दौरान इसमें तेजी लाई जाएगी।

प्राप्त शिकायतों और मामलों, निपटान और लंबित मामलों का विवरण (सामान्य/वीआईपी/पीआईडीपीआई)

स्रोत	शुरुआती शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	निपटान	शेष	अवधि–वार लंबित (महीना)			
						<1	1-3	3-6	>6
सामान्य	32	282	314	304	10	10	0	0	0
वीआईपी	0	4	4	0	0	0	0	0	0
पीआईडीपीआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण (मुख्य/मामूली)

स्रोत	शुरुआती शेष	अवधि के दौरान जांच अधिकारी को सौंपी गई जांच–पड़ताल	कुल	जांच अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट	जांच अधिकारी के पास लंबित जांच–पड़ताल	अवधि–वार लंबित (महीना)			
						<6	6-12	12-18	>18
मुख्य शास्ति संबंधी मामले	6	1	7	5	2	0	1	0	1
मामूली शास्ति संबंधी मामले	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अभियोजन स्वीकृति

शुरुआती शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	प्रदान की गई स्वीकृति	अस्वीकृत की गई स्वीकृति	लंबित शेष
0	4	4	3	0	1

19
अध्याय

हिंदी का संवर्धन